यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय सोमेश्वर (अल्मोड़ा) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय सोमेश्वर (अल्मोड़ा) के माह 11/2013 से 04/2017 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री प्रितांशु कुमार श्रीवास्तव व सुश्री रेखा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 22.05.2017 से 25.05.2017 तक वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आनन्द कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 19.11.2013 से 23.11.2013 तक श्री एस.के. त्यागी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2006 से 10/2013 तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में 11/2013 से 04/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2). **(i)** इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः राजकीय महाविद्यालय, सोमेश्वर बौरारौ घाटी में स्थित है। राजकीय महाविद्यालय सोमेश्वर वर्ष 2006 में स्थापित हुआ। जिला मुख्यालय से महाविद्यालय की दूरी 40 किमी. है। रेलवे स्टेशन काठगोदाम से महाविद्यालय की दूरी 130 किमी. है। वर्तमान समय से भवन निर्माण कार्य चल रहा है। वर्तमान सत्र में 151 छात्र एवं छात्रायें 374 महाविद्यालय में अध्ययनरत है।

महाविद्यालय संचालन हेतु अनुदान शासन द्वारा प्रदान किया जाता है एवं इसके अतिरिक्त से प्रवेश शुल्क से संबंधित छात्र निधियों को आय प्राप्त होती है।

(ii)

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	शून्य	शून्य	72.42	71.98	2.44	1.60		1.27
2015-16	शून्य	शून्य	77.00	74.16	5.49	5.39		2.92
2016-17	शून्य	शून्य	49.71	48.39	20.14	18.43		3.01

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रू. लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2015-16	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	शून्य	24.68	24.68	शून्य
2016-17	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	शून्य	86.78	86.67	.11

(iii) गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'सी' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, → उच्च शिक्षा निदेशक, → प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, सोमेश्वर (अल्मोड़ा) → प्रवक्ता संवर्ग → शिक्षणेत्तर अधिकारी/कर्मचारी→ कार्यालय प्रभारी → समूह ग कर्मचारी

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय सोमेश्वर (अल्मोड़ा) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय सोमेश्वर (अल्मोड़ा) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 03/2015 व 10/2015 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

STAN

प्रस्तर-1- वित्तीय नियमावली की अनदेखी कर रू. 9,62,600/- का अनियमित क्रय किया जाना।

वित्तीय नियमावली 2008 के तहत यह प्रावधान है कि क्रय करने से पूर्व एक क्रय समिति की गठन कार्यालय के प्रधान/अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। यह समिति बाजार सर्वे करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है एवं उपयुक्त पायी गयी फर्मों से खरीददारी करने की सिफारिश देती है। साथ ही समिति द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाण पत्र भी जारी किया जाता है, जिसमें यह प्रमाणित करना होता है कि निविदा में प्रतिभाग करने वाली किसी भी संस्था से समिति के किसी भी सदस्य का निजी हित संबंध नहीं है।

राजकीय महाविद्यालय, सोमेश्वर अल्मोड़ा के RUSA में की गयी खरीद संबंधी अभिलेखों की जांच में पाया गया कि क्रय समिति तो महाविद्यालय में बनायी गयी परंतु समिति ने न ही बाजार सर्वे की रिपोर्ट प्रस्तुत की और न ही निजी हित संबंध न होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति उठाने पर महाविद्यालय ने उत्तर दिया भविष्य के लिए नोट किया एवं संबंधित लेखा अभिलेख अवलोकित कराया गया है। उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि समिति की सिफारिश एवं प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा को प्राप्त नहीं हुआ केवल समिति के गठन संबंधी अभिलेख प्रकाश में आए।

अतः रू. 9,62,000/- के अनियमित क्रय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-2- धनराशि रू. 1,48,027/- कॉशनमनी अवरूद्ध रखे जाने एवं धनराशि रू. 3,131/- छात्रवृत्ति को सरकार को **Surrender** न किए जाने का प्रकरण।

कॉशनमनी एक प्रत्याभूति धनराशि है, जिसे अचानक महाविद्यालय छोड़ने वाले छात्रों से होने वाली पुस्तक इत्यादि हानि की क्षतिपूर्ति के लिए छात्रों से लिया जाता है। शिक्षण कार्य समाप्त हो जाने के पश्चात यह धनराशि छात्रों को लौटा दी जानी चाहिए। राजकीय महाविद्यलाय सोमेश्वर, अल्मोड़ा के कॉशनमनी संबंधी अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि रू. 1,48,027 की धनराशि अवरूद्ध पड़ी हुई है। इस धनराशि से व्यय करने हेतु न ही तो निदेशालय से दिशा-निर्देश प्राप्त किए गए है और न ही इसे छात्रों को वापस किया गया।

राजकीय महा. सोमेश्वर द्वारा आपत्ति उठाए जाने पर उत्तर दिया गया कि कॉशनमनी छात्र छात्राओं के महाविद्यालय छोड़ने के उपरांत आवेदन प्रस्तुत करने पर भुगतान कर दिया जाता है। जिन छात्र-छात्राओं ने आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है उनकी धनराशि खातों में अवशेष है। शेष धनराशि व्यय करने हेतु निदेशालय से निर्देश प्राप्त किए जाएंगे।

छात्रवृत्ति संबंधी अभिलेखों की जांच में रू. 3,131/- की धनराशि अवरूद्ध पड़ी हुई है। चूँकि अब छात्रवृत्ति Online हो चुकी है तो इसका रख-रखाव समाज कल्याण द्वारा किया जाता है। चूँकि यह सरकार का पैसा है। अतः सरकार को Surrender कर दिया जाना चाहिए। महाविद्यालय ने आपत्ति उठाए जाने पर उत्तर दिया कि धनराशि समाज कल्याण विभाग अल्मोड़ा को वापस करने की प्रक्रिया चल रही है।

अतः रू. 1,48,027/- कॉशनमनी एवं धनराशि रू. 3,131/- छात्रवृत्ति को अवरूद्ध रखे जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

प्रतिवेदन संख्या	वर्ष	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
165	2013-14	शून्य	1,2	1,2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय सोमेश्वर (अल्मोड़ा) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेखः शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डॉ. प्रताप सिंह बिष्ट	प्राचार्य	नवम्बर 2013 से 22.12.2015
2.	डॉ. चन्द्र राम	प्राचार्य	22.12.2015 से अद्यतन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय सोमेश्वर (अल्मोड़ा) को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, सी- 1/105, वैभव पैलेश, इंदिरा नगर, देहरादून, 248006" को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)